न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी : **गितेश श्री मालवीय** आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 13/2019 (नि.पं.)
पंजीयन दिनांक 24.06.2019
G.C.M.S. NO. :_ 2019/00034

1–मांगीलाल पिता सूरजमल जाति ब्राह्मण, आयु वयस्क, निवासी बारू, तहसील राशमी, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
2–लक्ष्मीलाल पिता सूरजमल जाति ब्राह्मण, आयु वयस्क, निवासी बारू, तहसील राशमी, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

–निगराकारगण

बनाम

1–रामलाल पिता गुलाबचन्द जाति सुखवाल ब्राह्मण, आयु वयस्क, निवासी बारू, तहसील राशमी, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
2–ग्राम पंचायत बारू, जरिये सरपंच, ग्राम पंचायत बारू, पंचायत समिति, राशमी, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

–गैर निगराकारगण/विपक्षीगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायत अधिनियम, 1994 विरूद्ध पट्टा संख्या 1378 दिनांक 23.02.2006 ग्राम पंचायत बारू

उपस्थिति : 1–श्री छोगालाल जाट, अधिवक्ता निगराकारगण

प्रकरण संख्या 13/2019 (नि.पं.)
मांगीलाल पिता सूरजमल ब्राह्मण निवासी बारू तहसील राशमी वगैरा बनाम रामलाल पिता गुलाबचन्द सुखवाल ब्राह्मण निवासी बारू तहसील राशमी वगैरा

निर्णय

दिनांक 11.11.2022

निगराकारगण द्वारा यह निगरानी इस आशय की प्रस्तुत की है अधीनस्थ ग्राम पंचायत विपक्षी संख्या 2 के द्वारा विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में 40 बाई 95 वर्ग फीट का पुश्तैनी पट्टा संख्या 1378 दिनांक 23.02.2006 को जारी किया जो न्याय नियम एवं वाक्याती तथ्यों के विपरीत होकर निरस्त योग्य है। अधीनस्थ ग्राम पंचायत ने बिना जांच पडताल किये मात्र विपक्षी संख्या 1 के द्वारा किये गये कथनों के आधार पर पट्टा जारी किया है जो निरस्त योग्य है। अतः निगरानी स्वीकार फरमाई जाकर ग्राम पंचायत बारू द्वारा गैर निगराकार/विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 1378 दिनांक 23.02.2006 निरस्त फरमाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैर निगराकारगण को सूचना पत्र जारी किये गये। गैर निगराकार संख्या 2 की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। अधीनस्थ ग्राम पंचायत से विवादित पट्टे से संबंधित रेकार्ड तलब किया गया। ग्राम पंचायत से पट्टे से संबंधित रेकार्ड प्राप्त हुआ। गैर निगराकार संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री भगवत सिंह गिलुण्डिया ने अधिकार पत्र एवं जवाब पेश किया। दौराने बहस विपक्षी संख्या 1 तथा उनके अधिवक्ता बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं हुए। अतः बहस प्रकरण अधिवक्ता निगराकारगण सुनी गई एवं प्रकरण गुणावगुण पर देखा गया।

विद्वान अधिवक्ता निगराकारगण ने कथन किया कि अधीनस्थ ग्राम पंचायत गैर निगराकार संख्या 2 ने गैर निगराकार संख्या 1 के पक्ष में पुराने गृहों का विनियमितिकरण के तहत पट्टा संख्या 1378 दिनांक 23.02.2006 को जारी किया जो कि न्याय नियम एवं तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। विवादित आवासीय भूखण्ड जिसका पूर्व में गैर निगराकार संख्या 1 को पट्टा जारी किया हुआ था जिसकी साईज 25 बाई 30 वर्ग फीट है तथा उसके पूरब दिशा में 30 बाई 45 फीट का भूखण्ड का पट्टा चांदमल को जारी किया गया था उसी भूखण्ड को चांदमल से गैर निगराकार संख्या 1 ने क्रय किया जिससे गैर निगराकार संख्या 1 के भूखण्ड का साईज 75 बाई 25+30/2 वर्गफीट ही बनता है फिर भी अधीनस्थ ग्राम पंचायत ने मौके पर बिना जांच पड़ताल किये विवादित भूखण्ड का पट्टा जिसकी साईज 40 बाई 95 वर्गफीट मानते हुए जारी कर दिया जो अवैधानिक होने से निरस्त योग्य है। गैर निगराकार संख्या 1 का भूखण्ड जो अवस्थित है वह चांदमल के भूखण्ड जो कि 30 बाई 45 का है के पश्चिम में अवस्थित है उसके पश्चात् प्रार्थीगण के पिता के नाम जारी भूखण्ड अवस्थित है

प्रकरण संख्या 13/2019 (नि.पं.)
मांगीलाल पिता सूरजमल ब्राह्मण निवासी बारू तहसील राशमी वगैरा बनाम रामलाल पिता गुलाबचन्द सुखवाल ब्राह्मण निवासी बारू तहसील राशमी वगैरा

जिसकी साईज 20 बाई 45 वर्गफीट व उसके बाद आम रास्ता अवस्थित है ऐसी स्थिति में गैर निगराकार संख्या 1 को जो पट्टा जारी किया व उक्त पट्टे के पड़ौस जो अंकित किये उसमें पूरब में आम रास्ता एवं पश्चिम में भी आम रास्ता अंकित किया जो पूर्णतया मौके की स्थिति के विपरीत होकर निरस्त योग्य है। अधीनस्थ ग्राम पंचायत ने बिना किसी जांच पड़ताल किये गैर निगराकार संख्या 1 को अपने आवेदन अनुसार बिना नियमों की पालना किये पट्टा जारी कर दिया। विवादित भूखण्ड का पुराने गृहों का पट्टा जारी किया गया है जबकि विवादित भूखण्ड अलग-अलग थे व गैर निगराकार संख्या 1 ने चांदमल से क्रय किया है जो कि 1988 का है ऐसी स्थिति में गैर निगराकार संख्या 1 का 50 वर्ष से पुराना कब्जा मानकर उक्त विवादित भूखण्ड का गैर निगराकार संख्या 2 ने पट्टा जारी कर दिया जो अवैधानिक होकर निरस्त योग्य है। गैर निगराकार संख्या 1 के भूखण्ड एवं चांदमल के भूखण्ड के बाद निगराकार के पिता सूरजमल का भूखण्ड अवस्थित है जिस पर निगराकारगण काबिज होकर उपयोग-उपभोग करते चले आ रहे हैं फिर भी गैर निगराकार संख्या 1 ने गैर निगराकार संख्या 2 से मिली-भगत कर निगराकारगण के भूखण्ड का भी पट्टा अपने नाम जारी करवा लिया जो अवैधानिक होने से निरस्त योग्य है। अधीनस्थ ग्राम पंचायत ने पट्टा जारी करने से पूर्व विधिवत् कार्यवाही नहीं की है और ना ही आपत्तियां आमंत्रित करने का सूचना पत्र जारी किया मात्र गैर निगराकार संख्या 1 के कथन के आधार पर 40 बाई 95 वर्गफीट का पट्टा जारी कर दिया जो नियमों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अतः निगरानी स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ ग्राम पंचायत बारू द्वारा गैर निगराकार संख्या 1 के पक्ष में जारी पुश्तैनी पट्टा संख्या 1378 दिनांक 23.02.2006 को निरस्त करने का आदेश प्रदान करावें।

विद्वान अधिवक्ता गैर निगराकार संख्या 1 ने जवाब पेश किया कि अधीनस्थ ग्राम पंचायत ने गैर निगराकार संख्या 1 को विधिवत् व पूर्ण प्रक्रिया का पालन कर पट्टा जारी किया है। निगराकारगण, गैर निगराकार संख्या 1 के पारिवारिक सदस्य होकर बडे पिताजी के पुत्र हैं जो पारिवारिक रंजिश रखते हैं जिससे गलत व निराधार तथ्यों के आधार पर यह निगरानी प्रस्तुत की है। जबकि गैर निगराकार को पट्टे में वर्णित साईज 40 बाई 95 वर्गफीट अनुसार सही पट्टा जारी किया है। गैर निगराकार संख्या 1 उसे जारी पट्टे अनुसार ही काबिज होकर इस भूखण्ड पर निर्मित मकान में कई वर्षो से परिवार सहित निवासरत है। निगराकार ने मौके की स्थिति के विपरीत पट्टा होने के तथ्य जो वर्णित किए हैं वह गलत है। तत्कालीन सरपंच द्वारा मौके की जांच-पड़ताल कर पूरी कौरम में नियमानुसार पट्टा जारी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

किया है और किसी के द्वारा कोई आपत्ति भी पेश नहीं की गई है। अतः निगराकारगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से सव्यय निरस्त फरमाई जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। अधिवक्ता निगराकार की बहस पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों एवं अधीनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा विवादित पट्टे से संबंधित प्रस्तुत अभिलेख का गहनता पूर्वक अध्ययन एवं परिशीलन किया एवं प्रकरण गुणावगुण पर देखा। जिसके अनुसार गैर निगराकार संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ ग्राम पंचायत में पैतृक मकान का पट्टा चाहने बाबत आवेदन पेश किया है जिस पर अधीनस्थ ग्राम पंचायत ने आनन-फानन में एक ही दिन में दिनांक 05.12.2005 को आपत्तियां आमंत्रित करने हेतु सीधे ही सूचना पत्र भी जारी कर दिया जो कि अनुचित है। अधीनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा आपत्तियां आमंत्रित करने से पूर्व भूखण्ड का नक्शा भी नहीं बनाया गया तथा न ही मौका निरीक्षण किया गया। मौका निरीक्षण दिनांक 06.01.2006 को किया गया तथा नक्शा भी दिनांक 06.01.2006 को बनाया गया जबकि उससे पूर्व ही दिनांक 05.12.2005 को ही आपत्तियां आमंत्रित करने हेतु सूचना पत्र जारी कर दिया गया है जो कि पूर्णतया अनुचित है।

अधीनस्थ ग्राम पंचायत को गैर निगराकार संख्या 1 द्वारा पैतृक भूखण्ड का पट्टा चाहने हेतु आवेदन पेश करने पर उस पर विधिवत् पत्रावली कायम करनी चाहिए थी उसके पश्चात् मौका निरीक्षण हेतु तीन पंचों की कमेटी गठित कर नक्शा बनवाना तथा स्थल/मौका निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त करनी चाहिए थी तथा उसके पश्चात् आपत्तियां आमंत्रित करने हेतु सूचना पत्र जारी किया जाना चाहिए था जबकि अधीनस्थ ग्राम पंचायत ने तीन पंचों की कमेटी ही गठित नहीं की है और सीधा ही आवेदन पेश होने पर आपत्तियां आमंत्रित करने हेतु सूचना पत्र जारी कर दिया जो पंचायती राज नियमों के विपरीत है।

अधीनस्थ ग्राम पंचायत की मिसल के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि गैर निगराकार संख्या 1 ने आवेदन में पैतृक मकान का पट्टा जारी करने का अंकन किया है जबकि कार्यालय ग्राम पंचायत, बारू द्वारा दिनांक 06.01.2006 को मौके पर उक्त विवादित भूखण्ड खाली होने का प्रमाण-पत्र जारी किया गया है। अतः ग्राम पंचायत, बारू द्वारा एक ओर तो उक्त विवादित भूखण्ड मौके पर खाली बताया जा रहा है वहीं दूसरी ओर उसी विवादित भूखण्ड का नियम 157 (2) के तहत 50 वर्षो के दौरान निर्मित पुराने मकानों के रूप मे उसका पट्टा जारी किया गया है जो कि पूर्णतया विधि-विरूद्ध है। साथ ही गैर निगराकार संख्या 1 ने विवादित भूखण्ड पर उसका मकान निर्मित होकर कई वर्षो से परिवार सहित वहां निवासरत होने का जवाब में अंकन किया है किन्तु उसकी पुष्टि में ऐसा कोई ठोस दस्तावेजी

Web Copy - Not Official

साक्ष्य अथवा फोटोग्राफ प्रस्तुत नहीं किया है जिससे उनके विवादित भूखण्ड पर निवासरत होने की पुष्टि होती हो तथा अधीनस्थ ग्राम पंचायत ने भी अपनी मिसल में उक्त विवादित भूखण्ड खाली बताकर दिनांक 06.01.2006 को भूखण्ड खाली होने का प्रमाण-पत्र जारी किया है।

ग्राम पंचायत से प्राप्त पत्रावली/अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी करने से पूर्व पूर्ण जांच नहीं कर मात्र कागजी खानापूर्ति की है। ग्राम पंचायत द्वारा आपत्तियां आमंत्रित करने हेतु सूचना पत्र नक्शा बनाने एवं स्थल/मौका निरीक्षण करने से पहले ही जारी कर दिया गया है तथा आपत्तियां आमंत्रित करने हेतु जारी सूचना पत्र दिनांक 05.12.2005 को ग्राम के सार्वजनिक स्थान पर चस्पा कराने संबंधी कोई साक्ष्य/सबूत भी पत्रावली में उपलब्ध नहीं है तथा न ही ग्राम पंचायत द्वारा पुश्तैनी पट्टा जारी करने से पूर्व पारिवारिक सजरे अनुसार परिवार के सभी सदस्यों की सहमति प्राप्त की गई है जबकि पुश्तैनी पट्टा जारी करने से पूर्व ग्राम पंचायत को सभी परिवार के सदस्यों से सहमति प्राप्त करनी चाहिये थी अथवा पुश्तैनी पट्टा जारी करने से पूर्व उन्हें सुनवाई हेतु अवसर प्रदान किया जाना चाहिये था जो कि अधीनस्थ ग्राम पंचायत ने नहीं किया है तथा न ही ऐसा कोई साक्ष्य/सबूत ग्राम पंचायत, बारू की पत्रावली/प्रस्तुत अभिलेख में मौजूद है। उक्त तथ्यों के आधार पर गैर निगराकार संख्या 1 के पक्ष में दिनांक 23.02.2006 को पट्टा जारी करने की कार्यवाही उचित प्रतीत नहीं होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगराकारगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत बारू, पंचायत समिति, राशमी द्वारा गैर निगराकार संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा क्रमांक 1378 दिनांक 23.02.2006 निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण ग्राम पंचायत बारू को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि पक्षकारान एवं अन्य प्रकरण से संबंधित वारिसान/पारिवारिक सदस्यों को सुना जाकर कब्जे तथा अन्य तथ्यों के संबंध में पूर्ण जांच कर पुनः नए सिरे से पट्टा जारी करने की कार्यवाही करें।

'निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया।'

(गितेश श्री मालवीय)